

## आवश्यक सूचना

बी0एड0 एवं बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) के अन्तर्गत सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु प्रवेश काउन्सिलिंग की प्रस्तावित तिथियों की सूचना माह जनवरी-2017 के अन्तिम सप्ताह तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। प्रवेश काउन्सिलिंग की सूचना यथासमय दी जायेगी। बी0एड0 एवं बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु समस्त सूचनायें विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.uprtou.ac.in](http://www.uprtou.ac.in) पर समय-समय पर दी जायेगी। कृपया प्रवेश सम्बन्धी जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। प्रवेश हेतु अर्हता को स्वयं सुनिश्चित कर लें। प्रवेश काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक एवं वांछित प्रपत्र संलग्न हैं।

  
(प्रो पी0के0 पाण्डेय)

प्रभारी, शिक्षा विद्याशाखा



# उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

बी.एड. प्रथम वर्ष प्रवेश सत्र 2016-2017

बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता –

(क) उत्तर प्रदेश में स्थित किसी प्रारम्भिक विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षक ।

(ख) परम्परागत प्रणाली (Face to Face mode) से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी ।

## List of NCTE Recognized Courses -

D.E.C.Ed, DPSE, D.EL.Ed, B.EL.Ed, B.Ed, M.Ed  
D.P.Ed, B.P.Ed, M.P.Ed, B.T.C., D.Ed.,  
Diploma In Arts Education (Visual Arts), Diploma In Arts Education (Performing Arts),  
B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. 4 Years Integrated programme, B.Ed.M.Ed. 3 years Integrated programme

**Note-** Any other NCTE recognized face to face mode Teacher's Training Course.

(ग) बी.एड. कार्यक्रम प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित दो विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हो अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक स्तर पर तथा एक विषय इण्टर स्तर पर लिये हों – हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, गणित, गृहविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, तथा वाणिज्य ।

नोट – 1. अर्हता दिनांक 01.07.2016 को पूर्ण होनी चाहिए एवं इस हेतु अंकपत्र / प्रमाणपत्र एवं अन्य वांछित

प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा ।

2. उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ावर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ही उ.प्र.

शासन के अनुसार आरक्षण प्राप्त होगा । अन्य प्रदेशों के पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी (Open category) के अन्तर्गत अन्य शर्तें पूर्ण करने पर प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा ।

3. कार्यरत शिक्षक की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यक्रम पूर्ण करने तक विद्यालय में अध्यापनरत रहना होगा अन्यथा की स्थिति में बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।

(घ) शुल्क धनराशि

1. काउन्सिलिंग शुल्क धनराशि रु. 200/- (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए), रु. 100/- (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए) नगद तथा कार्यक्रम पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क धनराशि रु. 16000/- (रुपये सोलह हजार) काउंसिलिंग के समय शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा जोकि वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम देय होगा, साथ लाना आवश्यक है ।

(ङ) अन्य प्रपत्र

1. बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2016 का मूल प्रवेश पत्र
2. प्रवेश काउन्सिलिंग का यह पत्र
3. पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटो

(च) संलग्न प्रारूप के अनुसार

4. शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न है)
5. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उत्तर प्रदेश में स्थित प्रारम्भिक विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षक का मूल अध्यापन प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति (प्रारूप संलग्न है)

**(छ) वर्ग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (शासकीय प्रारूप में)**

6. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)। उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी का क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण-पत्र प्रवेश परामर्श की तिथि से छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत मूल विकलांगता प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)
8. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का मूल प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति (यदि लागू हो)
9. प्रतिरक्षा श्रेणी (डिफेन्स) सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति (यदि लागू हो)

**(ज) शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र**

10. हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति
11. हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति
12. इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति
13. स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति
14. स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति
15. स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)

**बी.एड.(द्विवर्षीय दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम) के अध्ययन केन्द्र**

	अध्ययन केन्द्र	कोड
1.	टी.डी. कालेज, जौनपुर	S-036
2.	आर.बी. एस. कालेज, आगरा	S-002
3.	वी.एस.एस.डी. कालेज, कानपुर	S-011
4.	हिन्दू कालेज, मुरादाबाद	S-030
5.	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	S-016
6.	शिवली नेशनल पी.जी. कालेज, आजमगढ़	S-049
7.	डी. जे. कालेज, बडौत, बागपत	S-063
8.	चौधरी तुलसीराम यादव महाविद्यालय, धौसड़ा, तुलसी नगर, इलाहाबाद	S-111
9.	उपरदहा डिग्री कालेज, बरौत, इलाहाबाद	S-086
10.	श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर	S-140

**नोट-** अध्ययन केन्द्र का आवंटन अभ्यर्थी के वर्ग में सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। NCTE के निर्देशानुसार अध्ययन केन्द्रों की संख्या घट बढ़ सकती है।

**अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/छायाप्रतियों की सूची :**

- 1 हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति
- 2 हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति
- 3 इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति
- 4 स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति
- 5 स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति
- 6 स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)
- 7 NCTE से मान्यता प्राप्त परम्परागत प्रणाली (Face to Face Mode ) का अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल अंक-पत्र व प्रमाण पत्र एवं उसकी प्रमाणित छायाप्रति
- 8 मूल जाति प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति (यदि लागू हो)
- 9 मूल विकलांगता प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति (यदि लागू हो)
- 10 मूल अध्यापन प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति
- 11 बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2016 का मूल प्रवेश पत्र
- 12 शपथ-पत्र
- 13 प्रवेश काउन्सिलिंग का यह पत्र  
काउन्सिलिंग शुल्क धनराशि रु. 200/- (सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ), रु. 100/- (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए) नगद तथा कार्यक्रम शुल्क धनराशि रु. 16,000/- (रुपये सोलह हजार ) बैंक ड्राफ्ट द्वारा जोकि वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम से देय होगा।
- 15 पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटो

विशेष दिशा निर्देश :-

- 1- ध्यान रखें कि निश्चित समय व तिथि पर उपस्थित न होने वाले अथवा उक्त समय व तिथि को प्रवेश की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 2- विलम्ब से आने पर आपके अनुरोध पर ही उस समय उपलब्ध सीटों के आधार पर आपके प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।
- 3- काउंसलिंग शुल्क(रु. 200/- सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, रु. 100/- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए) नगद तथा कार्यक्रम पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क धनराशि रु. 16000/- (रुपये सोलह हजार ) काउंसलिंग में सम्मिलित होने के समय बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम देय होगा।
- 4- अभ्यर्थी को अपने साथ सभी मूल अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों/प्रपत्रों आदि के साथ सभी की प्रमाणित छाया प्रतियाँ तथा अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज के दो फोटो भी लाना है।
- 5- अध्यापन अनुभव के मूल प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र को छोड़कर शेष सभी मूल अंक पत्र व प्रमाण-पत्र उसी दिन सत्यापन के बाद वापस कर दिये जायेंगे।
- 6- अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप पर नोटरी द्वारा सत्यापित 10 रु0 के नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र को साथ लाना है।
- 7- निर्धारित प्रारूप पर मूल अध्यापन प्रमाण-पत्र के साथ-साथ मूल जाति प्रमाण-पत्र व मूल विकलांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) की छाया प्रतियाँ भी लानी हैं।
- 8- वर्तमान में अध्यापक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालय का होना चाहिए।
- 9- व्यक्तिगत परीक्षार्थी/दूरस्थ शिक्षार्थी के अतिरिक्त शेष नियमित विद्यार्थी के रूप में स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों का अध्यापन अनुभव स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए।
- 10-अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश के तहसीलदार/ अपर जिलाधिकारी/ जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप पर निर्गत होना चाहिए।
- 11-अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी क्रीमीलेयर में न आने का नवीनतम प्रमाण-पत्र लेकर आयें जो काउन्सिलिंग तिथि से छः माह से पुराना नहीं होना चाहिए।
- 12-विकलांग अभ्यर्थी अपने साथ उत्तर प्रदेश के किसी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत मूल विकलांगता प्रमाण-पत्र अवश्य लायें जिसमें 40% से अधिक विकलांगता प्रमाणित की गयी हो।
- 13-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने की स्थिति में उसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर आपके प्रवेश पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।
- 14-प्रतिरक्षा श्रेणी के अन्तर्गत आने का प्रमाण-पत्र सरकारी प्रारूप पर प्रस्तुत न करने पर आपके प्रवेश पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

- 15- शैक्षिक अर्हता व अध्यापन अनुभव का मूल प्रमाण-पत्र तथा लागू होने पर जाति प्रमाण-पत्र व विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर आपके प्रवेश पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।
- 16- विवाह के कारण उपनाम (सरनेम) में आये परिवर्तन की स्थिति में विवाह प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति तथा शपथ-पत्र साथ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- 17- अपने द्वारा प्रस्तुत सभी प्रपत्रों पर अपना पूर्ण हस्ताक्षर अवश्य करें।

## बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु

**निर्देश – अध्यापन प्रमाण-पत्र निम्न प्रारूप पर संस्था के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाये।**  
दिनांक- .....

### अध्यापन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....इस संस्था में दिनांक.....से  
प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका के रूप में निरन्तर कार्यरत है। यह संस्था राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके उ0प्र0राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के बी0एड0 कार्यक्रम को करने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है।

(प्रतिहस्ताक्षरी का हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर)  
**(Name & Seal of Counter Signed Person)**

संस्था के प्रधान के हस्ताक्षर एवं नाम  
तथा संस्था की मुहर

### नोट: –

- उपरोक्त प्रमाण पत्रों के प्रतिहस्ताक्षर हेतु सक्षम अधिकारी, जिला बेसिक अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी / क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी आदि है। प्रमाण पत्र सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा ही प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में अध्यापन की स्थिति में जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में अध्यापन की स्थिति में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी तथा अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित संस्थाओं में अध्यापन की स्थिति में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।
- सी.बी.एस.ई. या आई.सी.एस.ई. जैसे विद्यालयों में अध्यापन की स्थिति में उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करने की स्थिति में संस्था कीमान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति भी साथ में संलग्न करना अनिवार्य है।

## बी.एड. कार्यक्रम हेतु

नोट :- निम्न शपथ-पत्र प्रारूप को रू.10/-के नान ज्यूडिशियल शपथ -पत्र पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।

### शपथ-पत्र का प्रारूप

समक्ष,

समन्वयक, बी.एड. प्रवेश परामर्श समिति  
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,  
इलाहाबाद।

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि-

1. मैंने .....विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा वर्ष .....में ..... प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है।
2. मैंने परम्परागत शिक्षा प्रणाली से NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त .....अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष .....में .....संस्था से उत्तीर्ण किया है।
3. मैं .....संस्था, जो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है तथा उत्तर प्रदेश में स्थित है, मैं विगत .....वर्षों से प्रारम्भिक स्तर पर प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका के रूप में निरन्तर कार्यरत हूँ।
4. मैं बी.एड. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के अवधि के दौरान अपनी शिक्षण संस्थान में अध्यापक/अध्यापिका के रूप में लगातार कार्यरत रहने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। किसी कारण वश संस्था परिवर्तित करने पर परिवर्तित संस्था के स्वरूप व स्तर बी.एड. प्रवेश के लिए निर्धारित आवश्यक शिक्षण संस्थान के अनुरूप ही होगा, जिसकी सूचना मेरे द्वारा तत्काल विश्वविद्यालय को दी जायेगी।
5. मैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह हूँ। यदि भविष्य में यह ज्ञात होता है कि मैं प्रवेश हेतु अर्ह नहीं था/थी तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का मेरा होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा व मेरे द्वारा जमा शुल्क की समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा जमा की गयी किसी भी धनराशि को विश्वविद्यालय से वापस पाने का मैं कोई दावा नहीं करूँगा/करूँगी।
6. बी.एड. सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक :

शपथकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर  
स्पष्ट शब्दों में नाम व पूर्ण पता

## प्रमाण-पत्र

(प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कृ./श्रीमती/ .....  
 एक प्रतिरक्षा अधिकारी है, जिनका रैंक .....है तथा नम्बर .....जो सक्रिय  
 सेवारत है अथवा सक्रिय सेवारत थे और अपंग हो गये अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त  
 किया। श्री/कु०/श्रीमती.....इनके पुत्र/पुत्री/पत्नी है।

ऑफिसर कमाण्डेन्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स  
 बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर

दिनांक : .....

अधिकारी का पूरा नाम : .....

## प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण-पत्र)

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार/ अपर जिलाधिकारी/ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

नोट : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं के लिए निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। (केन्द्रीय सेवाओं के लिये निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे)

## प्रमाण-पत्र

(स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.\*..... पुत्र/पुत्री श्री .....

निवासी ..... स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री/श्रीमती \*\*.....

निवासी ..... का आश्रित\*\*\*..... है।

**डी.एम. / ए.डी.एम**  
**हस्ताक्षर एवं मोहर सहित**

दिनांक :..... अधिकारी का पूरा नाम :.....

नोट – साथ में जिलाधिकारी प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं पेंशन पुस्तिका की सत्यापित फोटोकापी भी अवश्य संलग्न करें।

- \* यहाँ आश्रित का नाम लिखा जाये।
  - \*\* यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा जाये।
  - \*\*\* यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित के साथ सम्बन्ध लिखा जाये।
- डी.एम. या ए.डी.एम. का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

## प्रमाण-पत्र

(प्रतिरक्षा कर्मचारी के आश्रितों के लिये प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./ श्रीमती ..... श्री .....

रैंक ..... नम्बर .....की

पुत्र /पुत्री / पत्नी है जो प्रतिरक्षा सक्रिय सेवा में अथवा युद्ध के समय लापता हो गये।

**ऑफिसर कमाण्डेन्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स**  
**बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर**

दिनांक :..... अधिकारी का पूरा नाम :.....





# उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

बी.एड. विशिष्ट शिक्षा प्रथम वर्ष प्रवेश सत्र 2016-2017

## बी0 एड0 (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता

इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्न है-

1. अभ्यर्थी ने न्यूनतम पचास प्रतिशत (50%) अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/परास्नातक उपाधि प्राप्त की हो।
2. बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित दो विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हो अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक पर तथा एक विषय इण्टर स्तर पर लिये हों- हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृहविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, तथा वाणिज्य।

नोट :-

1. अर्हता दिनांक 01.07.2016 को पूर्ण होनी चाहिए एवं इस हेतु अंक पत्र/प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।
2. उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ावर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ही उ.प्र. शासन के अनुसार आरक्षण प्राप्त होगा। अन्य प्रदेशों के पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी (Open category) के अन्तर्गत अन्य शर्तें पूर्ण करने पर प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा।

### (अ) शुल्क धनराशि

1. काउन्सिलिंग शुल्क धनराशि रु. 200/- (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए), रु. 100/- (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नगद) तथा कार्यक्रम पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क धनराशि रु. 12000/- (रुपये बारह हजार) के समय शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा जोकि वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम देय होगा, साथ लाना आवश्यक है।

### (ब) अन्य प्रपत्र

1. बी.एड. विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा 2016 का मूल प्रवेश पत्र
2. प्रवेश काउन्सिलिंग का यह पत्र
3. पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटो

### (स) संलग्न प्रारूप के अनुसार

4. शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न है)

### (द) वर्ग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (शासकीय प्रारूप में)

5. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)। उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी का क्रीमिलेयर में न आने का प्रमाण पत्र प्रवेश परामर्श की तिथि से छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत मूल विकलांगता प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)
7. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का मूल प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति (यदि लागू हो)
8. प्रतिरक्षा श्रेणी (डिफेन्स) सम्बन्धी मूल प्रमाणपत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति (यदि लागू हो)

### (य) शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

9. हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
10. हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
11. इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
12. स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
13. स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
14. स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)

**बी.एड. विशिष्ट शिक्षा (दो वर्ष छः माह दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम) के अध्ययन केन्द्र**

क्र. सं.	अध्ययन केन्द्र	कोड
1.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद (मानसिक मंदता)	S-951
2.	इसराजी देवी शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद (दृष्टि बाधिता)	S-952
3.	उ0प्र0 इंस्टीट्यूट फार द हेयरिंग हैण्डिकेप, इलाहाबाद (श्रवण विकलांगता)	S-953
4.	चेतना, लखनऊ (मानसिक विकलांगता)	S-956
5.	इंटीग्रेटिंग इंस्टीट्यूट फार द डिसेबल्ड, वाराणसी (मानसिक विकलांगता)	S-957
6.	टी. डी. कालेज (विकलांग पुनर्वास केन्द्र) जौनपुर, (मानसिक विकलांगता)	S-959
7.	इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग फार डेफ, ऐशबाग, लखनऊ (श्रवण विकलांगता)	S-960
8.	पूर्वांचल खादी ग्रामोद्योग विकास समिति झूसी, इलाहाबाद (श्रवण विकलांगता)	S-961
9.	फ्रेण्डस ऑफ हैण्डिकेप्ड इंडिया, स्वामी सत्यानन्द सरस्वतिम् "वाणी" सेन्टर फार हियरिंग एण्ड मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, पी-1 पल्लवपुरम्, फेस-II मेरठ (श्रवण विकलांगता)	S-963

**नोट-** अध्ययन केन्द्र का आवंटन अभ्यर्थी के वर्ग में सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। RCI के निर्देशानुसार अध्ययन केन्द्रों की संख्या घट बढ़ सकती है।

अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/छायाप्रतियों की जाँच सूची :

1	<input type="checkbox"/>	हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
2	<input type="checkbox"/>	हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
3	<input type="checkbox"/>	इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
4	<input type="checkbox"/>	स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
5	<input type="checkbox"/>	स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
6	<input type="checkbox"/>	स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)
7	<input type="checkbox"/>	मूल जाति प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)
8	<input type="checkbox"/>	मूल विकलांगता प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)
9	<input type="checkbox"/>	मूल अधिभार सम्बन्धी प्रमाण-पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)
10	<input type="checkbox"/>	बी.एड. विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा 2016 का मूल प्रवेश पत्र
11	<input type="checkbox"/>	प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र
12	<input type="checkbox"/>	प्रवेश काउन्सिलिंग का यह पत्र
13	<input type="checkbox"/>	काउन्सिलिंग शुल्क धनराशि रु. 200/- (सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए), रु. 100/- (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए) शुल्क की रसीद तथा कार्यक्रम शुल्क धनराशि रु. 12,000/- (रुपये बारह हजार) का बैंक ड्राफ्ट जोकि वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम से देय होगा।
14	<input type="checkbox"/>	पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटो

## विशेष दिशा निर्देश

- 1- ध्यान रखें कि निश्चित समय व तिथि पर उपस्थित न होने वाले अथवा उक्त समय व तिथि को प्रवेश की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 2- विलम्ब से आने पर आपके अनुरोध पर ही उस समय उपलब्ध सीटों के आधार पर आपके प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।
- 3- काउंसलिंग शुल्क (रु. 200/- सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, रु. 100/- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए ) तथा कार्यक्रम, पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क धनराशि रु. 12,000/- (रु. बारह हजार मात्र) काउंसलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम देय होगा।
- 4- अभ्यर्थी को अपने साथ सभी मूल अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों/प्रपत्रों आदि के साथ सभी की प्रमाणित छाया प्रतियाँ तथा अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज के दो फोटो भी लाना है।
- 5- शपथ पत्र को छोड़कर शेष सभी मूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र उसी दिन सत्यापन के बाद वापस कर दिये जायेंगे।
- 6- अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप पर नोटरी द्वारा सत्यापित 10 रु. के नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र को साथ लाना है।
- 7- निर्धारित प्रारूप पर मूल जाति प्रमाण-पत्र व मूल विकलांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) की छाया प्रतियाँ भी लानी हैं।
- 8- अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के तहसीलदार/ अपर जिलाधिकारी/ जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप पर निर्गत होना चाहिए।
- 9- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी क्रीमीलेयर में न आने का नवीनतम प्रमाण पत्र लेकर आयें जो काउन्सिलिंग तिथि से छः माह से पुराना नहीं होना चाहिए।
- 10- विकलांग अभ्यर्थी अपने साथ उत्तर प्रदेश के किसी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत मूल विकलांगता प्रमाणपत्र अवश्य लायें जिसमें 40% से अधिक विकलांगता प्रमाणित की गयी हो।
- 11- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने की स्थिति में उसका प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने पर आपके प्रवेश पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।
- 12- प्रतिरक्षा श्रेणी के अन्तर्गत आने का प्रमाण-पत्र सरकारी प्रारूप पर प्रस्तुत न करने पर आपके प्रवेश पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।
- 13- शैक्षिक अर्हता तथा लागू होने पर जाति प्रमाण-पत्र व विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर आपके प्रवेश पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।
- 14- विवाह के कारण उपनाम (सरनेम) में आये परिवर्तन की स्थिति में विवाह प्रमाणपत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति तथा शपथपत्र साथ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- 15- अपने द्वारा प्रस्तुत सभी प्रपत्रों पर अपना पूर्ण हस्ताक्षर अवश्य करें।

## बी0एड0(विशिष्ट शिक्षा), कार्यक्रम हेतु

नोट :- निम्न शपथ-पत्र प्रारूप को रू.10/-के नान ज्यूडिशियल शपथ-पत्र पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। जो लागू न हो उसे काट (X) दिया जाय।

### शपथ-पत्र का प्रारूप

समक्ष,

समन्वयक, बी0एड0(विशिष्ट शिक्षा) प्रवेश परामर्श समिति  
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,  
इलाहाबाद।

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि-

1. मैंने .....विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा वर्ष .....में .....प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है।
2. मैंने .....विश्वविद्यालय से परास्नातक परीक्षा वर्ष .....में .....प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है।
3. मैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के बी.एड.(विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह हूँ। यदि भविष्य में यह ज्ञात होता है कि मैं प्रवेश हेतु अर्ह नहीं था/थी तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का मेरा होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा व मेरे द्वारा जमा शुल्क की समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा जमा की गयी किसी भी धनराशि को विश्वविद्यालय से वापस पाने का मैं कोई दावा नहीं करूँगा/करूँगी।
4. बी0एड0 सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक :

शपथकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर  
स्पष्ट शब्दों में नाम व पूर्ण पता

## प्रमाण-पत्र

(प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. /श्रीमती/ .....  
 एक प्रतिरक्षा अधिकारी है, जिनका रैंक .....है तथा नम्बर .....है जो कि  
 सक्रिय सेवारत है अथवा सक्रिय सेवारत थे और अपंग हो गये अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश  
 प्राप्त किया। श्री/कु./श्रीमती.....इनके पुत्र/पुत्री/पत्नी है।

ऑफिसर कमाण्डेन्ट अथवा सेक्रेटरी सोलजर्स  
 बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर

दिनांक :.....

अधिकारी का पूरा नाम :.....

## प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण-पत्र)

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार/ अपर जिलाधिकारी/ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

नोट : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं के लिए निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। (केन्द्रीय सेवाओं के लिये निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे)

## प्रमाण-पत्र

(स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.\*..... पुत्र/पुत्री श्री .....

निवासी ..... स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री/श्रीमती \*\*.....

निवासी ..... का आश्रित\*\*\* ..... है।

**डी.एम. / ए.डी.एम**  
**हस्ताक्षर एवं मोहर सहित**

दिनांक : ..... अधिकारी का पूरा नाम : .....

नोट – साथ में जिलाधिकारी प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं पेंशन पुस्तिका की सत्यापित फोटोकापी भी अवश्य संलग्न करें।

- \* यहाँ आश्रित का नाम लिखा जाये।
  - \*\* यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा जाये।
  - \*\*\* यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित के साथ सम्बन्ध लिखा जाये।
- डी.एम. या ए.डी.एम. का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

## प्रमाण-पत्र

(प्रतिरक्षा कर्मचारी के आश्रितों के लिये प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./ श्रीमती ..... श्री .....

रैंक ..... नम्बर ..... की

पुत्र /पुत्री / पत्नी है जो प्रतिरक्षा सक्रिय सेवा में अथवा युद्ध के समय लापता हो गये।

**ऑफिसर कमाण्डेन्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स**  
**बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर**

दिनांक : ..... अधिकारी का पूरा नाम : .....